मंगला बनाम किशना
2025 / 40
निर्णय दिनांकः—26.05.2025

न्यायालय
सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी—बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2025 / 40 दर्ज तिथिः—30.01.2025

1. मंगला पुत्र फुसा
2. मांगा पुत्र फुसा
3. रावत पुत्र फुसा
4. रेखाराम पुत्र पोकराराम
   जाति नाई निवासी रोली, बांटा तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर।

..................वादी

बनाम

1. किशनाराम पुत्र वीरमाराम
2. धुडी पत्नी वीरमाराम
3. धनी पत्नी रतनाराम
4. वरजु पत्नी भारूराम
5. सोनाराम पुत्र वीरमाराम
   जाति जाट निवासी रोली, बांटा तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर

...............असल प्रतिवादीगण

6. शाखा प्रबन्धक एस0बी0आई0 बेक गुडामालानी
7. शाखा प्रबन्धक दी0 बाड़मेर सेन्ट्रल कॉओपरेटि बेक शाखा गुडामालानी
8. तहसीलदार गुडामालानी जिला बाडमेर

..............तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री जगदीश विश्नोई
प्रतिवादीगणः— एक तरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

—ःनिर्णयः—

निर्णय तिथिः—26.05.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 का बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.07 20:48:07 IST
Reason: SelfAttested

जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी खसरा संख्या 115 / 17.8709 है0, 114 / 0.0567 है0 वाके ग्राम रोली पटवार हल्का बांटा तहसील गुढामालानी जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादीगण के हिस्से खुले हुए हैं तथा आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादी को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजूद विधिवत तामिल प्रतिवादीगण के उपस्थित न्यायालय नहीं होने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादी द्वारा दौरान–ए–बहस बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किये जाने पर सहमति प्रदान करने पर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 10.03.2025 को जारी की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक / कोर्ट / आर.ए. / 2025 / 732 दिनांक 09.05.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम–1955 के नियम–18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादी एवं प्रतिवादी द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक / कोर्ट / आर.ए. / 2025 / 732 दिनांक 09.05.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम–1955 के नियम–18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार हैः–

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.07 20:48:07 IST
Reason: SelfAttested

21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. *- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.*	प्रकरण में दिनांक 01.05.2025 को तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा मय पटवारी／गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपॅार्ट तैयार की गई।
प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॅार्ट तैयार की गई।	1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़मालानी के नोटिस पत्रांक 1594—1602 दिनांक 23.04.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 01.05.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॅार्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़मालानी के नोटिस पत्रांक 1594—1602 दिनांक 23.04.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 01.05.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॅार्ट तैयार की गई।

3. प्रकरण में वादी द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2073—2076 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 115／17.8709 है0, 114／0.0567 है0 वाके ग्राम रोली पटवार हल्का बांटा तहसील गुढामालानी जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॅार्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन—प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा—ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

4. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ—साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा हेतु तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जिन पर विश्लेषण इस प्रकार हैः—

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.07 20:48:07 IST
Reason: SelfAttested

प्रथम– स्वामित्व एवं कब्जाः– प्रकरण के बाद तकसीम पृथक–पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह–काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

द्वितीय– सुविधा का सन्तुलनः– प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं । प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय– अपूरणीय क्षतिः– प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खातें का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद–रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

5. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक–पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादी अन्तर्गत धारा–88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 115 / 17.8709 है0, 114 / 0.0567 है0 वाके ग्राम रोली पटवार हल्का बांटा तहसील गुढामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.07 20:48:07 IST
Reason: SelfAttested

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
मंगला पुत्र फूसा हि0 1/3 मांगा पुत्र फूसा हि0 1/3 रावता पुत्र फूसा हि0 1/3 जाति नाई सा0 देह खातेदार रहन–मंगला, मांगा का हिस्सा एसबीबीजे गुड़ामालानी रावता हिस्सा बीसीसीबी शाखा गुड़ामालानी	रोली	115 114	8.7003 0.0567	बा0सो0 गै0मु0 ढाणी
कुल किता 02 रकबा 8.7570 है0				
रेखाराम पुत्र पोकराराम हि0 पूर्ण जाति नाई सा0 देह खातेदार रहन–एसबीआई गुड़ामालानी	रोली	115	1.7493	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 1.7493 है0				
किशनाराम पुत्र वीरमाराम हि0 1570/69977 सोनाराम पुत्र वीरमाराम हि0 3062/69977 जाति जाट धूड़ी पत्नी वीरमाराम हि0 20592/69977 जाति जाट धनी पत्नी रतनाराम हि0 22162/69977 जाति जाट वरजू पत्नी भारूराम हि0 22162/69977 जाति जाट सा0 देह खातेदार रहन–सोनाराम का हिस्सा एसबीबीजे शाखा गुड़ामालानी	रोली	115 115	2.8449 4.1528	बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 02 रकबा 6.9977 है0				
गै0मु0 रास्ते हेतु	रोली	115	0.4236	गै0मु0 रास्ता
कुल किता 01 रकबा 0.4236 है0 गै0मु0 रास्ता प्रयोजनार्थ				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.07 20:48:07 IST
Reason: SelfAttested

मंगला बनाम किशना
2025 / 40
निर्णय दिनांकः—26.05.2025

यह निर्णय आज दिनांक 26.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.07 20:48:07 IST
Reason: SelfAttested

मंगला बनाम किशना
2025/40
निर्णय दिनांकः—26.05.2025

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2025/40 दर्ज तिथिः—30.01.2025

1. मंगला पुत्र फुसा
2. मांगा पुत्र फुसा
3. रावत पुत्र फुसा
4. रेखाराम पुत्र पोकराराम

जाति नाई निवासी रोली, बांटा तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर।

..................वादी

बनाम

1. किशनाराम पुत्र वीरमाराम
2. धुडी पत्नी वीरमाराम
3. धनी पत्नी रतनाराम
4. वरजु पत्नी भारूराम
5. सोनाराम पुत्र वीरमाराम

जाति जाट निवासी रोली, बांटा तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर

...............असल प्रतिवादीगण

6. शाखा प्रबन्धक एस0बी0आई0 बैक गुडामालानी
7. शाखा प्रबन्धक दी0 बाड़मेर सेन्ट्रल कॉओपरेटि बैक शाखा गुडामालानी
8. तहसीलदार गुडामालानी जिला बाडमेर

..............तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री जगदीश विश्नोई
प्रतिवादीगणः— एक तरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

—:पर्चा डिक्रीः—

दावा वादी अन्तर्गत धारा—88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 115/17.8709 है0, 114/0.0567 है0 वाके ग्राम रोली पटवार हल्का बांटा तहसील

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.07 20:48:07 IST
Reason: SelfAttested

गुढामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा—ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
मंगला पुत्र फूसा हि0 1 / 3 मांगा पुत्र फूसा हि0 1 / 3 रावता पुत्र फूसा हि0 1 / 3 जाति नाई सा0 देह खातेदार रहन—मंगला, मांगा का हिस्सा एसबीबीजे गुड़ामालानी रावता हिस्सा बीसीसीबी शाखा गुड़ामालानी	रोली	115 114	8.7003 0.0567	बा0सो0 गै0मु0 ढाणी
कुल किता 02 रकबा 8.7570 है0				
रेखाराम पुत्र पोकराराम हि0 पूर्ण जाति नाई सा0 देह खातेदार रहन—एसबीआई गुड़ामालानी	रोली	115	1.7493	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 1.7493 है0				
किशनाराम पुत्र वीरमाराम हि0 1570 / 69977 सोनाराम पुत्र वीरमाराम हि0 3062 / 69977 जाति जाट धूड़ी पत्नी वीरमाराम हि0 20592 / 69977 जाति जाट धनी पत्नी रतनाराम हि0 22162 / 69977 जाति जाट वरजू पत्नी भारूराम हि0 22162 / 69977 जाति जाट सा0 देह खातेदार रहन—सोनाराम का हिस्सा एसबीबीजे शाखा गुड़ामालानी	रोली	115 115	2.8449 4.1528	बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 02 रकबा 6.9977 है0				
गै0मु0 रास्ते हेतु	रोली	115	0.4236	गै0मु0 रास्ता
कुल किता 01 रकबा 0.4236 है0 गै0मु0 रास्ता प्रयोजनार्थ				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.07 20:48:07 IST
Reason: SelfAttested

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।

यह डिक्री आज दिनांक 26.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढ़ामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.07 20:48:07 IST
Reason: SelfAttested